रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 988] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 11, 2007/श्रावण 20, 1929
No. 988] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 11, 2007/SRAVANA 20, 1929

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2007

का.आ. 1391(अ).—खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, 2006 के नियम 30 के उप-नियम (2) के साथ पठित खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 19ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एक अधिकरण का गठन करती है जिसमें एक व्यक्ति नामत: श्री एम. एल. शर्मा, अवर सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 होंगे, और उक्त अधिकरण को अधिनियम की धारा 19ख की उप-धारा (1) के आशय से मुरादपुर ग्राम विकास परिषद, मेरठ, उत्तर प्रदेश द्वारा देय राशि का भुगतान खादी और ग्रामोद्योग आयोग को करने के बारे में निर्णय करने का विवादास्पद प्रश्न उक्त अधिकरण को सौंपती है ।

उक्त अधिकरण विवादास्पद मामले का निर्णय यथाशीघ्र लेकिन अधिक से अधिक सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 3 महीने के अन्दर करेगा ।

उक्त अधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।

[फा. सं. सी-18019/7/2007-केवीआई-II]

शेष कुमार पुलिपाका, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 2007

S.O. 1391(E).—In exercise of the powers conferred by Section 19B of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956) read with sub-rule (2) of rule 30 of the Khadi and Village Industries Commission Rules, 2006, the Central Government hereby constitutes a Tribunal consisting of one person, namely, Shri M. L. Sharma, Under Secretary, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Udyog Bhawan, New Delhi-110011 and refers the question of dispute to the said Tribunal for deciding about the payment of dues by the Muradpur Gram Vikas Parishad, Meerut, Uttar Prasdesh to the Khadi and Village Industries Commission within the meaning of Sub-section (1) of Section 19B of the said Act.

The said Tribunal shall adjudicate the dispute in question as soon as possible but not later than three months from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

The headquarters of the said Tribunal shall be at New Delhi.

[F. No. C-18019/7/2007-KVI-II]

SESH KUMAR PULIPAKA, Jt. Secy.

3467 GI/2007

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.